राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःराजपत्रित/डीपीसी/2014/833 दिनांकः 18.9.14

## आदेश

माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण द्वारा की गई बजट घौषणा की कियान्विति हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (CM&HO) का चयन हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में निम्नांकित अधिकारियों की स्क्रीनिगं कमेटी का गठन किया जाता हैः–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य) — अध्यक्ष
2. निदेशक (परिवार कल्याण) — सदस्य
3. निदेशक (एड्स) — सदस्य
4. वरिष्ठतम वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर — सदस्य
5. वरिष्ठतम वरिष्ठ विशेषज्ञ, सेटेलाईट अस्पताल,सेठी कालोनी, जयपुर। — सदस्य

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (CM&HO) का कैडर गठन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ पद पर तीन वर्ष और अधिक का अनुभव एंव इससे उच्च स्तर के अधिकारी क्रमश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ एंव उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी जिनकी सेवानिवृति में कम से कम 3 वर्ष का सेवाकाल शेष होना आवश्यक होगा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता/गबन एंव राजस्थान सिवील सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1958 के अर्न्तगत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नही होनी चाहियें।
4. PMO और CM&HO पद के लिये पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन देखे जावेगें, जिनमें से कम से कम 5 वर्षो के कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन बहुत अच्छा/उत्कर्ष (Very Good/ Outstanding) होने आवश्यक होगें।
5. उक्त मापदण्ड पूर्ण करने वाले चिकित्सकों में नियमित सेवा उपरान्त वरिष्ठता के मध्यनजर चयन में वरियता प्रदान की जावेगी।
6. उक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को उक्त मापदण्डों के पूर्ण करने पर प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

उक्त कमेटी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (CM&HO) पद के लिये पात्र अभ्यार्थियों का चयन कर जिलों/अस्पतालों में पदस्थापन की अभिषंशा करेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

833
18.9.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सयुंक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (पक/एड्स), मुख्यालय
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कावंटिया अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल, सेठीकालोनी, जयपुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय। कृपया विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।